अति-आवश्यक

::महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर::

क्रमांक:विधि/लाईट्स/6/2020/ 90700 - 49 दिनांक: 25-3-21

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार/उप विधि परामर्शी/अधीक्षक/उपाधीक्षक/लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/विशिष्ट केन्द्रीय/उच्च सुरक्षा कारागार/जिला/कारागृह राजस्थान।
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
5. समस्त महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान।

विषय:माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में लंबित न्यायिक प्रकरणों में जवाबदावा यथासमय प्रस्तुत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने पर वर्तमान में इस विभाग के 03 माह से 01 वर्ष की अवधि तथा 01 वर्ष से अधिक अवधि के कुछ लंबित न्यायिक प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत होना नहीं पाया गया जो गंभीर विषय है। उक्त संबंध में विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) के परिपत्र क्रमांक प.12(2)राज/वाद/2010 दिनांक 19.03.2010 के भाग-2 के बिन्दु संख्या 5.1 में स्पष्ट निर्देश जारी हुये है कि "प्रशासनिक विभाग, नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी का दायित्व है कि राज्य/विभाग की ओर से जवाबदावा अतिशीघ्र प्रस्तुत करे। अति महत्वपूर्ण, संवेदनशील प्रकरणों और जिन मामलों में राज्य के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित है अथवा स्थगन आदेश पारित होने की संभावना है उन प्रकरणों की परिस्थितियों के अनुरूप तत्काल प्रभावी रूप से जवाबदावा आवश्यक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। सामान्य प्रक्रिया में अधिकतम तीन माह की अवधि में जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिये। माननीय न्यायालय से बार बार अनावश्यक रूप से जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु तारीख पेशी नहीं ली जावे।"

उक्त परिपेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयुपर के माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा हाल ही में अन्य विभाग के प्रभारी अधिकारी केस पर 50,000/-रूपये का हर्जाना लगाया है।

अत: उपर्युक्त स्थिति आपके एवं विभाग के समक्ष उत्पन्न नहीं हो, को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लंबित न्यायिक प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं; उनमें अतिशीघ्र ही संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अभिभाषक/राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क कर जवाब प्रस्तुत करावें तथा भविष्य में भी समस्त याचिकाओं में जवाबदावा यथासमय प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें। यदि माननीय न्यायालय द्वारा भविष्य में इस संबंध में कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है, तो आपकी व्यक्तिश: जिम्मेवारी होगी, जिससे सूचित रहें।

भवदीय

25.3.2021

(राजीव दासोत)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर